



HFCL Limited

8, Commercial Complex, Masjid Moth, Greater Kailash - II,
New Delhi - 110048, India

Tel : (+91 11) 3520 9400, 3520 9500 Fax : (+91 11) 3520 9525

Web : www.hfcl.com

Email : secretarial@hfcl.com

HFCL/SEC/25-26
February 07, 2026

The BSE Ltd.

1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001

corp.relations@bseindia.com

Security Code No.: 500183

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, C – 1, Block G
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051

cmist@nse.co.in

Security Code No.: HFCL

RE: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Subject: Public Notice by way of Advertisement in Newspapers.

Dear Sir(s)/ Madam,

With reference to the above cited subject, we hereby submit the copies of the Public Notice by way of Advertisement in Newspapers, published today i.e. on Saturday, February 07, 2026, in relation to the Postal Ballot, in the following newspapers:-

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. The Indian Express (Delhi & Chandigarh) | – English (copies are attached) |
| 2. Divya Himachal (Shimla) | – Hindi (copy is attached) |
| 3. Jansatta (Chandigarh) | – Hindi (copy is attached) |

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HFCL Limited

(Manoj Baid)

President & Company Secretary

Encl.: As above

Jackal not killed at zoo: probe; but records show animal found motionless in burrow

Sophiya Mathew
New Delhi, February 6

EVEN AS an internal inquiry at the National Zoological Park in Delhi has concluded that there is no evidence to establish that a jackal was killed inside the zoo, internal records—which reveal details of the examination process during the probe—show that the jackal was found inside a burrow with no movement.

The records show that the animal was dragged out by the zoo staff and placed in a white sack on the instructions of a bear officer. The Indian Express has learnt.

No evidence of the death of a jackal has been found during the inquiry. Some discrepancies in protocols and irregularities

have been found. Various witnesses have been collected and have been collected as part of the inquiry. Sanjay Kumar, Director of the National Zoological Park, told The Indian Express on Friday.

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) had ordered a probe last month after the National Zoo Workers Union filed a complaint alleging unlawful killing of a jackal. The union said that one of four jackals that escaped from their enclosure last November entered the Himalayan black bear enclosure and hid inside a burrow, where chili powder was allegedly poured and fire ignited to force it out.

The records show that the animal was dragged out by the zoo staff and placed in a white sack on the instructions of a bear officer. The Indian Express has learnt.

32nd Avenue CEO held; firm says issue settled with complainant

Express News Service
Gurgaon, February 6

GURGAON POLICE arrested Dhruv Sharma, the founder CEO and managing director of 32nd Avenue, a commercial real estate project in Gurgaon, in connection with an alleged Rs 2.5-crore case of cheating. He was produced before a Gurgaon court, which remanded him in six days' police custody.

The case pertains to a 3,000-sq-ft first-floor unit at the 32nd Milestone complex at Sector 15. The complainant has alleged that the company failed to execute the terms of the sale agreement for a commercial unit, and instead allegedly sold it to 25 other individuals.

An FIR was registered on January 2 this year on the complaint lodged by one Trom Ventures Private Limited at the Kherki Daula police station. The complainant alleged cheating, criminal breach of trust, forgery, and criminal conspiracy.

A spokesperson for 32nd Avenue told The Indian Express on Friday evening that the issue had been amicably resolved

with Trom Ventures after a mutual understanding.

Earlier this week, a company spokesperson had said recent delays in making payments to some investors were "driven by a short-term vacancy in a limited portion of our Gurgaon property, arising from normal tenant churn and a change in tenure."

"It is unfortunate that a brand widely regarded as both a customer and investor favourite has faced reputational impact due to cyclical vacancy in a minority of spaces, despite decades of strong operational performance and consistent delivery," the company spokesperson said.

A police spokesperson said on Friday afternoon: "The accused company offered to sell the unit for Rs 2.5 crore. On September 21, 2024, the complainant company paid the full amount, and an agreement to sell was executed. However, the conveyance deed was not registered in the complainant's favour despite repeated follow-ups. The accused company continued to make rental payments as per the agreement but delayed the deed execution."

Unanimous decisions taken by the members of the AC, an apex body, are to be implemented in DU colleges.

TEACHERS TO DU ACADEMIC COUNCIL 'Renaming Dyal Singh (Evening) College could trigger land disputes'

Vidheesha Kuntamalla
New Delhi, February 6

FACULTY MEMBERS of the Dyal Singh College have written to Delhi University's (DU) Academic Council (AC), opposing the university's proposal to rename Dyal Singh (Evening) College after Sikh warrior Banda Singh Bahadur, warning that the move could trigger land disputes, violate the transfer deed via which DU had taken over the college, and "seriously degrade" the academic health of the institution.

In a letter sent to the AC members on Thursday, the Dyal Singh College Teachers' Association (DSCCTA) urged DU's elected representatives to block any attempt to rename the evening college or to create a second morning college on the same campus.

Unanimous decisions taken by the members of the AC, an apex body, are to be implemented in DU colleges.

On January 14, The Indian Express had reported that DU was considering renaming Dyal Singh (Evening) College, an issue publicly flagged by Vice-Chancellor Yogesh Singh during his address on Vir Bal Diwas in December 2025. According to faculty members, they were not consulted before the proposal was announced.

Headquarters New Delhi-110001

SPORTS PROMOTION COMMITTEE

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

भारतीय क्रिकेट संघ

Noida engineer death: High Court orders release of Witztown director

Express News Service
Lucknow, February 6

THE ALLAHABAD High Court Thursday ordered the release of Abhay Kumar, director of real estate firm Witztown Planners Ltd, noting that his arrest in connection with the Noida engineer's death last month was made without following mandatory procedures.

On January 16, software engineer Yuvraj Mehta drowned after his car plunged into a deep pit full of water in Noida's Sector 150—even as he screamed for help for around two hours.

The Gautam Buddha Nagar Police arrested Kumar on January 20 on charges of culpable homicide, causing death by negligence and negligent act endangering human life. Witztown had been in possession of the land since 2019-20.

Hearing a habeas corpus petition filed by Kumar challenging his arrest, a division bench of Justices Siddharth and Lal Krishna Upadhyay directed the authorities concerned to release the petitioner on grounds that the police made the arrest in violation of a High Court direction by not providing the arrest memo to the accused, disclosing the grounds of arrest.

UP WOMEN'S PANEL CHIEF WRITES TO ALL DMs 'Schools must not send homework on phones'

Express News Service
Lucknow, February 6

FOLLOWING THE deaths of three sisters in Ghaziabad, Uttar Pradesh State Women Commission chairperson Babita Rani has written to all district magistrates (DMs) to issue directions to schools, prohibiting interactions on mobile phones with students up to Class 5 and their parents.

On Wednesday morning, the sisters, aged 12, 14, and 16, had jumped from a window of their ninth-floor flat in Bharat City township allegedly after their phones were taken away, and they were told by their father to watch online Korean content or play online Korean games.

The chairperson said she has been raising the issue of restricting use of mobile phones by children for a long time, but the tragic incident in Ghaziabad has made administrative intervention unavoidable now. A direction needs to be issued to schools regarding strict monitoring on use of mobile phones by the children at least up to Class 5, she said.

The chairperson further said, "We had no option during Covid but to make children sit with phones to attend online classes and get instructions



The three sisters jumped to death in Ghaziabad from the 9th floor. GAZIABAD, UTTAR PRADESH

online classes and other class activities are not sent or held through phones. If a message needs to be conveyed through phones, it should be restricted to parents only, she added.

The chairperson said she has been raising the issue of restricting use of mobile phones by children for a long time, but the tragic incident in Ghaziabad has made administrative intervention unavoidable now. A direction needs to be issued to schools regarding strict monitoring on use of mobile phones by the children at least up to Class 5, she said.

The chairperson further said, "We had no option during Covid but to make children sit with phones to attend online classes and get instructions

from schools. But it is not compulsory now."

She also said the word 'space' should completely be avoided in families, since 'parents and children have developed the habit of asking for 'space', saying 'I've need space'."

"This has been ruining families... children withdraw from the community and become lonely, spending most of their time with mobile phones, leading to Ghaziabad-like incident."

"I have sent a letter to all DMs to issue a circular to schools regarding strict monitoring of students' use of mobile phones... and that no homework or school activities be sent on mobile phones... for students up to Class 5," the chairperson told The Indian Express.



TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Horni Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 India
Tel.: 91 22 6665 8282 • Fax No.: 91 22 6665 7724 • Email: csoc@tatasteel.com • Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH197PLC000260

NOTICE

Extract of Standalone Financial Results for the quarter/nine months ended on 31st December 2025

Particulars	Quarter ended on 31.12.2025	Quarter ended on 30.09.2025	Quarter ended on 31.12.2024	Nine months ended on 31.12.2025	Nine months ended on 31.12.2024	Financial year ended on 31.03.2025
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total revenue from operations	35,578.36	34,879.54	32,780.45	1,01,272.28	98,117.32	1,32,516.68
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	5,394.26	5,802.88	5,320.79	15,973.98	14,794.66	19,620.88
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	5,046.04	5,403.37	5,174.54	15,007.17	14,425.66	18,718.84
Net Profit / (Loss) for the period after tax	3,822.01	4,060.13	3,878.57	11,405.39	10,800.51	13,969.70
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,580.21	4,114.96	1,126.79	13,438.56	11,810.28	(10,003.46)
Paid-up equity share capital (Face value ₹ 1 per share)	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60
Reserves excluding revaluation reserves						125,483.34
Securities premium reserve	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24
Net Worth	1,32,488.43	1,29,908.21	1,45,359.20	1,32,488.43	1,45,359.20	1,23,543.94
Paid-up Debt Capital	15,158.49	15,157.74	12,825.48	15,158.49	12,825.48	15,156.26
Debt Equity Ratio	0.47	0.51	0.33	0.48	0.34	0.44
Earnings per equity share:						
Basic earnings per share of ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	3.06	3.25	3.11	9.13	8.65	11.19
Diluted earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	3.06	3.25	3.11	9.13	8.65	11.19
Debt Redemption Reserve	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75
Debt Service Coverage Ratio	5.68	2.51	5.93	2.32	3.95	3.82
Interest Service Coverage Ratio	9.45	7.95	8.81	6.01	10.36	9.94

Extract of Consolidated Financial Results for the quarter/nine months ended on 31st December 2025

Particulars	Quarter ended on 31.12.2025	Quarter ended on 30.09.2025	Quarter ended on 31.12.2024	Nine months ended on 31.12.2025	Nine months ended on 31.12.2024	Financial year ended on 31.03.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total revenue from operations	57,002.40	56,689.29	53,644.30	1,68,669.81	1,62,324.40	2,18,542.51
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	4,008.65	4,642.88	1,798.22	11,850.73	6,679.21	9,267.51
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	3,868.77	4,222.47	1,672.03	11,158.32	9,213.18	8,412.87
Net Profit / (Loss) for the period after tax	2,730.37	3,183.09	295.49	7,820.82	1,972.90	3,173.76
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,596.85	4,673.88	(561.03)	12,622.25	2,024.71	3,447.08
Paid-up equity share capital (Face value ₹ 1 per share)	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44
Reserves (excluding revaluation reserves) and Non controlling interest						90,175.44
Net Worth	95,064.36	91,548.11	86,281.05	95,064.36	86,281.05	87,000.34
Debt Equity Ratio	0.84	0.91	0.94	0.86	0.94	0.90
Earnings per equity share						
Basic earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	2.16	2.49	0.26	6.31	1.70	2.74
Diluted earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	2.16	2.49	0.26	6.31	1.70	2.74
Debt Redemption Reserve	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75
Debt Service Coverage Ratio	2.95	0.65	1.82	1.00	0.89	0.70
Interest Service Coverage Ratio	5.22	4.80	2.53	4.52	3.02	3.12

Note: The above is an extract of the detailed form of Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full form of the Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and the Company's website (www.tatasteel.com).

Sd/-
T V Narendran
Chief Executive Officer & Managing Director
Mumbai, February 06, 2026

TATA STEEL

New Delhi

PUBLIC NOTICE
INVITING OBJECTIONS REGARDING CHANGE IN NAME OF THE PROJECT FROM "PALM DRIVE" TO "WKS PINE DRIVE" SITUATED IN SECTOR-2 & 3, PATAUDI, GURUGRAM BEING DEVELOPED BY M/S VK & SONS INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

It is for the information of all concerned, the project "PALM DRIVE", situated at Sectors 2 & 3, Pataudi, Gurugram, being developed by M/s VK & Sons Infrastructure Pvt. Ltd., is registered with the Authority vide Registration No. HGR/REG/HAREN/965/687/2025 dated 01.07.2025.

The promoter has now applied for a change of name of the above project from "PALM DRIVE" to "WKS PINE DRIVE" vide application dated 06.01.2026.

It is stated in the application that the proposed name does not involve any alteration in the project's location, layout, specifications, or any other approved details.

The promoter has further disclosed that 60 number of plots have been sold in the project on or after.

Any concerned allottees as well as other concerned person having any objections, if any, with respect to the proposed change of name of the project or the promoter's claim regarding no alteration in the project's location, layout, specifications, or any other approved details may file such objections with the Authority on any working day during office hours (i.e., 10.00 a.m. to 4.00 p.m.) up to 02/02/2026. Any concerned person wishing to appear may also appear before the Authority in person on 02/02/2026 at 11.00 a.m. during the hearing.

Given under the approval of the Authority and its seal.

Sd/-
Secretary,
Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurgaon
Dated: 07.02.2026

GOVT. OF INDIA
Ministry of Health & Family Welfare.
Dte. General Health Services.
Rural Health Training Centre
Najafgarh, New Delhi-110043.
F.No. 142(DHQP)/2025-SHET/01/17

VACANCY CIRCULAR

Director, RHTC Najafgarh, New Delhi-43 invites for filling up of the following posts in the Rural Health Training Centre (RHTC), Najafgarh, New Delhi - 110043 on deputation (including short-term contract)/Absorption basis from suitable and eligible officials working under Central/State Government/ Autonomous Bodies/Statutory Organizations/PSUs.

S. No./Name of the posts	Pay Level as per 7th CPC Pay Matrix
1. Dietitian - I	Level-7
2. Counselor - I	Level-6
3. ECO Technician - I	Level-5
4. Dental Assistant/Technician/ Hygienist - I	Level-5
5. Pharmacist - 4	Level-5
6. Laboratory Attendant (Hospital Worker)-3	Level-2

The details of the posts, eligibility criteria and the other terms & conditions are available on the website of Rural Health Training Centre (www.rhtcnaajafgarh.gov.in). Candidates are advised to visit the website at regular intervals for all further notifications.

Sd/-
Medical Superintendent/Head of Centre
Rural Health Training Centre,
Najafgarh, New Delhi-110043
Contact No. 9310170799
CRC-17133/12/0008/2526
Date: February 06, 2026

Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

It is to inform our esteemed shareholders that in terms of SEBI Circular HO/30/13/11(2020)-MPSD-PDA/3750/2026 dated January 30, 2026 a special window to facilitate transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold / purchased prior to April 1, 2019 has been opened for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027.

The special window is available for such transfer requests which were submitted online and were rejected / returned / not attended due to deficiency in documents / process / or otherwise.

The concerned investor may lodge the necessary documents, to the Bank's Registrar and Transfer Agent (R.T.A.) Kin Technologies Limited at Selenum Tower B, Plot 51 & 32, Financial District Nareknamguda, Hyderabad, Telangana, 500032. Email: rtatransfer@kininfra.com; Toll free: 1800 309 4007; website: www.kinfra.com.

We also request all the shareholders to update KYC details including PAN, email ID, address, mobile number and bank account details with the DP (if shares are held in demat form) or with RTA (if shares are held in physical form), to ensure the ease of communication and seamless payment of dividend.

Shareholders holding shares in physical form are requested to demat their shares, by submitting share certificate to their Depository Participant (DP).

Place: Mumbai
Date: 7th February 2026

Sd/-
S Balakumar
Company Secretary

HFCL LIMITED
CIN: L64200PH1987PLC007466
Regd. Office: E-8, Electronics Complex, Chambaahat Sakan - 172123 (Jammuhal Pradesh)
Website: www.hfcl.com; Email: secretariat@hfcl.com
Tel: 91-1792-230644; Fax No: 91-1792-231902

NOTICE TO THE MEMBERS

It is hereby informed that:

- Pursuant to Section 108 and Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Inter-alia, for conducting Postal Ballot through electronic voting via the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 16, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 38/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 38/2023 dated September 25, 2023, 60/2024 dated September 18, 2024 and 03/2025 dated September 22, 2025 ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"). In this regard, members may note that HFCL Limited (the "Company") is proposing to seek consent of the members through postal ballot by way of electronic voting ("Electronic Voting") to transact the business set out in the Postal Ballot Notice ("Notice"), which will be sent to the members by e-mail.
- Electronic copy of the Notice will be sent, only by email, to those members whose email address is registered with the Company's Depository Participant(s) (DP(s)) Share Transfer Agent ("RTA") as on Friday, February 06, 2026 ("Cut-off date")/last for the purpose. The Notice will also be available on the website of the Company www.hfcl.com and website of the stock exchanges i.e., BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.nsdl.com.
- Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretariat Standard on General Guidelines ("SS-7"), the Company is pleased to provide to its Members with the facility to cast their

HFCL LIMITED

CIN: 1642009F198775007406

Regd. Office: E-8, Electronics Complex, Chhatrapati
Salar - 173213 (Himachal Pradesh)

Website: www.hfcl.com; Email: secretariat@hfcl.com

Tel: +91-7692-226644; Fax: +91-7692-231932

NOTICE TO THE MEMBERS

Its hereby informed that:

(i) Pursuant to Section 108 and Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") (including any statutory modifications) and exercise of powers conferred on the Board of Directors in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") there-into, for conducting Postal Ballot through e-voting (i.e. through the National e-Voting Service Ltd. ("NSDL")) pursuant to the provisions of the Act and the Rules, the Board of Directors of HFCL Limited, on 22/02/2023 dated June 15, 2023, 23/03/2023 dated September 28, 2023, 30/09/2023 dated December 31, 2023, 10/02/2024 dated June 23, 2024, 20/03/2024 dated December 31, 2024, 14/04/2024 dated June 23, 2024, 20/03/2024 dated September 28, 2023, 30/09/2023 dated September 28, 2023, 30/09/2024 dated September 18, 2024 and 30/09/2024 dated September 22, 2023 ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Regulations) and Debenture Trustee Regulations, 2013 (the "SEBI Listing Regulations"), in its regard, members may note that HFCL Limited ("the Company") is proposing to pass consent of the Board of Directors to the Postal Ballot Resolution of the Company to use the facility, to transact the business set out in the Postal Ballot Notice ("Notice"), which will be sent to the members in due course.

(ii) Electronic copy of the Notice will be sent only by email, to those members whose email address is registered with the Company (Registered Participant)/ Registrar (Share Transfer Agents ("RTA")) as on Friday, February 08, 2023 ("Cut-off date") for the purposes, of the National e-Voting Service Ltd. ("NSDL") and the website of the Company and the website of the stock exchanges (i.e. BSE Limited www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com) and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.nsdl.co.in and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.nsdl.co.in.

(iii) Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules, Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and the Secretariat Standard on General Meeting ("SSG-M") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the members are requested to cast their votes on the resolution set forth in the Notice by way of Remote e-Voting and to engage the services of NSDL, to facilitate voting through electronic voting system ("EVS").

(iv) Shareholders holding shares in physical mode and not registered/deposited with the e-mail addresses with the Company, may identify/register/deposit the same with the NSDL or the Depository Participant ("DP") of the Company by e-mail to secretariat@hfcl.com or to the Company. RTA may register/deposit the same with the NSDL or the Depository Participant ("DP") of the Company.

Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact write to the depository participant to register/update their e-mail address.

For HFCL Limited,

(Name) Director

Place: New Delhi, India
Date: February 06, 2023

President & Company Secretary

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-2)
1st FLOOR, S.C. 33-34/35, SECTOR 17A, CHANDIGARH
(Additional sessions court, 1st floor, 1st room floor also)

Case No. : OA/73/2018

Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 6 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

Exh. No. 28921

VS

LATE SMT. KAMLA DEVI WIFE OF SH. AMAR SINGH AND SHRI KUSHANSHU SON OF SHRI AMAR SINGH

vs.

1.) Defendant No. 1, Late Smt. Kamla Devi Wife of Shri Amar Singh, Late Shri Amar Singh, Late Shri Nishank, District Karnal, Haryana-132117 through its Legal Heir:-
Legal Heir :- Sh. Kushaneshu Son of Shri Amar Singh, Resident of Village Bhatkhera, Tehsil Nishank, District Karnal, Haryana-132117.

2.) Defendant No. 2, Sh. Kushaneshu Son of Sh. Amar Singh, Sri Village Bakpur, Tehsil Nishank, District Karnal, Haryana.

SUMMONS

WHEREAS, OA/73/2018, filed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 15.12.2025.

AND WHEREAS, the Applicant is pleased to issue summons/note on the said application under section 19(4) of the (OA) filed against you for recovery debts of Rs. 22,64,983/- (application along with the copy of the said application is being served to you) in accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act you are directed as under:-

(i) You shall attend within thirty days of the service of summons to your relief/property for should not be granted;

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets acquired and by the application serial number 33 of the original application.

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of securities or assets other than those disclosed under serial number 33 of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise except in the ordinary course of his business any of the assets over which specific interest is created and/or other assets and properties which are mortgaged or encumbered by way of any security of the original application without the prior approval of the Tribunal.

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds by sale of the assets and properties of the original application and the balance of the course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security of the original application.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof to the Registrar of the Tribunal on or before the date of the original application on 16.02.2026 at 10:30 AM, failing which the application shall be treated as abandoned and you are directed to appear before Registrar on 16.02.2026 at 10:30 AM, failing which the application shall be treated as abandoned and you are directed to appear before Registrar on 16.02.2026.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 16.12.2025.

 TATA STEEL LIMITED							
Registered Office: Bombay House, 24, Horni Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 India Tel.: 91 22 6665 8282 • Fax No.: 91 22 6665 7724 • E-mail: cosc@tatasteel.com • Website: www.tatasteel.com CIN: L27100MH1907PLC000260							
NOTICE							
Extract of Standalone Financial Results for the quarter/nine months ended on 31st December 2025							
Particulars	₹ Crore						
	Quarter ended on 31.12.2025	Quarter ended on 30.09.2025	Quarter ended on 31.12.2024	Nine months ended on 31.12.2025	Nine months ended on 31.12.2024	Financial year ended on 31.03.2025	
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total revenue from operations	35,578.38	34,679.54	32,760.45	1,01,272.28	98,117.82	1,32,516.66	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	5,394.29	5,802.88	5,320.79	15,973.98	14,794.66	19,620.88	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	5,046.04	5,403.37	5,174.54	15,007.17	14,425.66	18,718.84	
Net Profit / (Loss) for the period after tax	3,822.01	4,060.13	3,878.57	11,405.39	10,800.51	13,969.70	
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,580.21	4,114.98	1,126.79	13,438.56	11,810.28	(10,003.46)	
Paid-up equity share capital (Face value ₹ 1 per share)	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60	1,248.60	
Reserves excluding revaluation reserves						1,25,483.34	
Securities premium reserve	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24	31,290.24	
Net Worth	1,32,488.43	1,29,908.21	1,45,359.20	1,32,488.43	1,45,359.20	1,23,543.94	
Paid-up Debt Capital	15,158.49	15,157.74	12,825.48	15,158.49	12,825.48	15,156.28	
Debt Equity Ratio	0.47	0.51	0.33	0.48	0.34	0.44	
Earnings per equity share:							
Basic earnings per share of ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	3.06	3.25	3.11	8.13	8.65	11.19	
Diluted earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	3.06	3.25	3.11	9.13	8.85	11.19	
Debt/Equity Redemption Reserve	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	
Debt Service Coverage Ratio	5.88	2.51	5.93	2.32	3.95	3.82	
Interest Service Coverage Ratio	9.45	7.95	8.61	8.01	10.36	9.94	

Particulars	Quarter ended on 31.12.2025	Quarter ended on 30.09.2025	Quarter ended on 31.12.2024	Nine months ended on 31.12.2025	Nine months ended on 31.12.2024	Financial year ended on 31.03.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total revenue from operations	57,002.40	56,889.29	53,648.30	1,68,869.81	1,62,324.40	2,18,542.51
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	4,008.65	4,642.88	1,798.22	11,850.73	6,879.21	9,287.51
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	3,888.77	4,222.47	1,672.03	11,158.32	6,213.16	8,412.87
Net Profit / (Loss) for the period after tax	2,730.37	3,183.09	295.49	7,620.62	1,972.90	3,173.78
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,596.85	4,673.88	(561.03)	12,622.25	2,024.71	3,447.08
Paid-up equity share capital [Face value ₹ 1 per share]	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44	1,247.44
Reserves (excluding revaluation reserves) and Non controlling interest						90,105.34
Net Worth	95,064.36	91,548.11	86,281.05	95,064.36	86,281.05	87,770.44
Debt Equity Ratio	0.84	0.91	0.94	0.88	0.94	0.90
Earnings per equity share						
Basic earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	2.16	2.49	0.28	6.31	1.70	2.74
Diluted earnings per share ₹ 1 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	2.16	2.49	0.28	6.31	1.70	2.74
Debenture Redemption Reserve	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75	1,328.75
Debt Service Coverage Ratio	2.95	0.65	1.82	1.00	0.69	0.70
Interest Service Coverage Ratio	5.22	4.80	2.53	4.52	3.02	3.12

[illegible]

Sd/-
T V Narendran
Chief Executive Officer &
Managing Director

Mumbai, February 06, 2026

TATA STEEL

Sd/-
Koushik Chatterjee
Executive Director &
Chief Financial Officer



**बुनियादी ढांचे में शिक्षा को मज़बूती,
शिक्षा से भारत को शक्ति
स्कूलों में बनेंगे किचन थ्रेड,
अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं,
कंपाउंड वॉल और खेल मैदान**

CBC 35101/13/0109/2526



**Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar
and Aajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G**

(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025



125 दिन
की रोजगार गारंटी



1.84 लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा

दसवीं-जमा दो के प्रैक्टिकल 20 फरवरी से, तीन मार्च से शुरू होंगे लिखित इम्तिहान

रहाट रिपोर्ट - धर्मशाला

■ 2384 परीक्षा और 41 मूल्यांकन केंद्र स्थापित

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से वार्षिक परीक्षाओं को भाइलान वैचारिकता को जोड़ने के लिए शुरू करेगी है। इस बार बोर्ड की दसवीं व जमा दो की फाइनल परीक्षाओं में एक लाख 84 हजार छात्र भाग लेंगे। इसमें दसवीं में 97 हजार व जमा दो के 87 हजार परीक्षार्थी शामिल हैं। दसवीं-जमा दो के प्रैक्टिकल 20 से करवाए जाएंगे, जबकि लिखित परीक्षाएं तीन मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए प्रदेश भर में 2384 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 41 स्थल मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं।



हैं, जिसमें उत्तरपुस्तिकाओं को जांच करी जायेगा। इस बार बोर्ड की ओर से दसवीं व जमा दो के परीक्षाम को जारी करने के लिए 30 अर्थी के रहने के लिए राज्य जाते करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डा. मेजर विमल शर्मा ने बताया कि नक़्तों रोके के लिए पलायन छात्रों बनाए जाएंगे, स्कूलों में संधार देने के इच्छुक हैं। डा. रोशनी शर्मा ने कहा कि कई छात्रों के उत्तर प्रक्रिया में सुधार होगा।

सीवीएसई स्कूलों में प्रतिनियुक्ति को पात्रता परीक्षा अनिवार्य

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सीवीएसई से संबद्ध विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अब एक विशेष पात्रता परीक्षा उर्णीक करना अनिवार्य होगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि इस पात्रता परीक्षा का आयोजन इसी माह किया जाएगा। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त रूप से निर्धारित उच्च मानकों पर खरे उतरें। परीक्षा की सुविधा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बोर्ड ने अनुभवी शिक्षक-विशेषज्ञों की मदद से प्रश्न-पत्रों का लुटिंट भी तैयार कराया होगा। यह प्रश्न परीक्षा विभाग के सभी सहायकों के लिए अनिवार्य होगी है। इसमें कारगर प्रशिक्षण, प्रकाश, प्रशिक्षित छात्रों शिक्षा और जीवित शिक्षा शामिल है, जो सीवीएसई परीक्षा में संधार देने के इच्छुक हैं। डा. रोशनी शर्मा ने कहा कि कई छात्रों के उत्तर प्रक्रिया में सुधार होगा।

अब उत्सव जैसी लगती है परीक्षा

लाहुल-स्पीति की अनुष्ठा ने परीक्षा पे चर्चा में पीएम से किया संवाद

कार्यालय संवाददाता - शिमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष कार्यक्रम परीक्षा ने चर्चा के दौरान लाहुल-स्पीति के गणतंत्र सैनिक सेवकों स्कूल उद्घरण की 10वीं कक्षा को छात्रा अनुष्ठा के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री से संवाद करते हुए अनुष्ठा ने उनको पुस्तक एजासुचना के अलावा शिक्षा और बताया कि इस पुस्तक ने उन्हें परीक्षा के डर से बाहर निकलने में मदद की है। अनुष्ठा ने कहा कि पहले जब परीक्षा की डेटाशीट जारी होती थी, तो उन्हें डा लगने लगता था। एजासुचना वास्तव में वाद उनका डा खत्म हो गया है। इस



शिमला। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी व हिमाचल की बड़ी अनुष्ठा

राज्यपाल बोले, पीएम के दिए मार्गदर्शन को अपनाने छात्र
शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को लोक भवन से वीडियो माध्यम से 98 परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने शैक्षणिक जीवन के साथ-साथ जीवन में भी ईमानदारी से आत्मसात करें।

भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 14 जमीन मालिकों को मिलेगा 12 करोड़ मुआवजा

नादौन में इंडोर स्टेडियम का रास्ता साफ

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - हमीरपुर

नादौन के खरीदौ मैदान में निर्माणधीन इंडोर स्टेडियम एवं बह-चौल परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एक तरफ जहां निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अंतिम रूप देकर इकोनोमिकल जारी कर दी गई है। जिन 14 लोगों की भूमि इंडोर स्टेडियम के लिए अधिग्रहण की गई है उन्हें लाभदा 12 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। विभाग जल्द ही उनके कहे छात्रों को डिजिटल लेन। हालांकि नदौन के मौज फोला के छोले लगाने बार्ड में निर्माणधीन इंडोर स्टेडियम एवं

बह-चौल परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसके लिए 14 भूमि मालिकों की लागत 7561.06 वामिंदर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एडमोनी हमीरपुर और डोली चरना के भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य के प्रयासक अधिकार गंम ने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए स्वस्थ एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूर के मंडल आगमन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृति प्रदान की है। इसकी प्रक्रिया नदौन के एडमोनी और तामीलकर कार्यालयों और क्षेत्र के महत्वपूर्ण

इन भूमि मालिकों को मुआवजा

एडमोनी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। डोली चरना के 14 भूमि मालिकों सुभाष चंद, संजय कुमार, ब्रह्मा देवी, मनोज कुमार, कृष्णा देवी, राकेश कुमार, कस्तुरी देवी, केहरा राय, लाल चंद, रमेश कुमार, कृष्ण चंद, डोली स्कूल, सुनील कुमार व तुषार अस्थी की 7561.06 वामिंदर निजी भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है।

सार्वजनिक स्थलों पर भी उल्लंघन कराया दी गई है।

70 वर्ष से ज्यादा आयु के पेंशनर्स को एरियर भुगतान की मंजूरी

रहाट रिपोर्ट - शिमला

हिमाचल प्रदेश विधिविधालय ने प्री-2016 से पूर्व के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को बड़ी राहत देने हेतु एरियर पेंशनर्स के भुगतान को मंजूरी दे दी है। विधिविधालय द्वारा यह निर्णय विधायक प्रवेश सरकार के विध विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन को अपनाते हुए लिया गया है। विधिविधालय के कुलपति ने यह 27 जून को राज्य सरकार के प्रधान सचिव (विध) द्वारा जारी राज्यपाल ज्ञापन को अपनाते की स्वीकृति प्रदान की है।

हिमाचल प्रदेश विधिविधालय ने दी बड़ी राहत

वे आदेश पहली जनवरी, 2016 से प्रभावी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पेंशनर्स के लहत देय परिवार के भुगतान से संबंधित है। विध विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 70 वर्ष से ऊपर के अधिक आयु के पेंशनर्स को संवित्त प्रदान का शत-प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। संशोधन पेंशन के आधार पर देय परिवार विधिविधालय स्तर पर लागू किया जाएगा।

राज्यपाल ने नवाजे एनसीसी कैडेट

गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रतिभागियों को दी शाबाशी

कार्यालय संवाददाता - शिमला

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने गणतंत्र दिवस शिवािर में भाग लेने वाले सभी एनसीसी कैडेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया और प्रोत्साहन स्वरूप 50000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की। शुक्रवार को लोक भवन में नई दिल्ली में राज्यपाल ने इन कैडेट्स से मिलकर उत्साहवर्धन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य के 21 कैडेट्स



नई दिल्ली में प्रदेश के कैडेट्स के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व अधिकारी

ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश और भूमि है और एनसीसी कैडेट्स इस समृद्ध परंपरा के ध्वजवाहक हैं, जो अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा और देशभक्ति के मूल्यों का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली जैसे राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करना नेतृत्व क्षमता, हिंसा है।

छात्रों को एआई के बढ़ते प्रभाव पर ज्ञान

इंदौर। अती नूतनविस्ती के अती स्कूल अती बिज्ञान मेनेजमेंट एंड कारिम द्वारा शुक्रवार को कार्यशाला का विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य तथा भविष्य के करियर अवसरों की जानकारी प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के चान्सलर डा. विवेक सिंह ने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि आज के प्रतिस्पर्धी दुग में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि क्रोसल का विकास अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर सभी बच्चाओं ने एआई की भूमिका, उद्योगों में इसके उपयोग तथा योजना के नए अवसरों पर विचार से प्रकाश डाला।

बाहरी राज्यों की तर्ज पर मिले आर्थिक पैकेज

शिमला। हिमाचल में मौजूदा समय में बने आर्थिक हालातों के बीच प्रादेशीक नीतिगत कालाक संघ ने केंद्र से अधिक का विशेष आर्थिक पैकेज लेकर लिए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में संघ ने राष्ट्रीय, प्रान्तीय और क्षेत्रीय विभिन्न मंत्रों को बताना होगा है। संघ का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रादेशीक आधारों से हिमाचल प्रदेश को करीब 22 हजार करोड़ रुपए की भारी आर्थिक क्षति हुई है, जबकि कर्मचारियों से जुड़े नेशनल आयुक्त की लागत भी हजार करोड़ रुपए की अदायगी पिछले दशक जाए या फिर हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। संघ ने मांग की है कि जन्म-कर, वित्त, आर्थिक प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी विशेष आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाए। प्रदेश की श्रेष्ठ प्रति सीमा बढ़ाई जाए और राज्य को व्याज मुक्त श्रेष्ठ देने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि आर्थिक दबाव को काट दिया जा सके। संघ के प्रदेश महासचिव विजय होर ने कहा कि वर्तमान बजट में शिक्षा पर केवल तीन प्रतिशत जीडीपी खर्च हो रहा है।

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - शिमला

केंद्र सरकार के बजट सुधार से राष्ट्र निर्माण की ओर तेज गति से कदम बढ़ रहे हैं। 2004 से 2014 के मध्य करीब पाठौं न केनेल वाली युपीए सरकार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर घोटालों की माह थी। 12वीं घोटाला, कोयला घोटाला, हेल्थकार्ड घोटाला आदि से अर्थव्यवस्था का बंटोफार होता गया। प्रधान भारत को दीमक की तरह खा रहा था और देश की विकास कार्य के लिए प्रदेशों को भेजे गए पैसे का 85 प्रतिशत

बिंदल बोले, मोदी सरकार ने रोकी टैक्स चोरी

कहा, केंद्र के बजट सुधार से राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़े कदम

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - शिमला

केंद्र सरकार के बजट सुधार से राष्ट्र निर्माण की ओर तेज गति से कदम बढ़ रहे हैं। 2004 से 2014 के मध्य करीब पाठौं न केनेल वाली युपीए सरकार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर घोटालों की माह थी। 12वीं घोटाला, कोयला घोटाला, हेल्थकार्ड घोटाला आदि से अर्थव्यवस्था का बंटोफार होता गया। प्रधान भारत को दीमक की तरह खा रहा था और देश की विकास कार्य के लिए प्रदेशों को भेजे गए पैसे का 85 प्रतिशत



डा. राजीव बिंदल

प्रधान की भेंट चढ़ जाता था, ऐसा कथन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी का था। वे शब्द राजीव बिंदल ने कहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सुधार का क्रम शुरू हुआ। सब ओर से प्रधान पर नकल कसी की माह थी। 12वीं घोटाला, भारी ब्रेक लगाई गई और केंद्र से प्रदेशों को व विकास कार्य का डिजिटल ट्रांजिक्शन शुरू किया। इससे केंद्र सरकार से चला एक रुपया विकास कार्य तक एक रुपए ही पहुंचा। टैक्स एसमेशन

किसानों और करोड़ों करदाताओं को मिला लाभ

लिमिट दो लाख रुपए से बढ़ाते हुए उसे 12 लाख 75 हजार रुपए तक पहुंचा दिया और करोड़ों करदाताओं को सौधा लाभ प्रदान। इस हेतु जून-पून योजना शुरू कर 55 करोड़ खाते खुलवाए गए। जात रहे कि इन खातों में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपए मौजूद हैं। इसमें से साढ़े पंद्रह लाख खाते हिमाचल प्रदेश में हैं। 12 करोड़ किसानों के खाते में 6000 रुपए प्रति वर्ष डिजिटली आते हैं।

देव कमरुनाग ने महाशिवरात्रि के लिए किया मंडी का रुख

मंडी। पुतान परंपराओं का निरंहन करते हुए मंडी जनपद के आराध्य बड़ा देव कमरुनाग ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के लिए प्रस्थान कर लिया है। बड़ा देव के पुजारी बीरराज ठाकुर ने बताया कि 9 दिन की पेल यात्रा के बाद बड़ा देव कमरुनाग का स्वरूप सूरज पछाई मंडी नगर पहुंचेगा।

एचएफसीएल लिमिटेड
संस्थापक: 14/03/2007
पंजीकृत कार्यालय: 8, प्रोड्यूसर बिल्डिंग, चान्सलर कोर - 173213 (शिमला प्रदेश)
वेबसाइट: www.hfcl.com ई-मेल: secretarial@hfcl.com
संपर्क: 91-1792-220644 फैक्स: 91-1792-231902

सदस्यों को सूचना

एचएफसीएल लिमिटेड की निम्न सदस्यताएं हैं:
(1) ब्रोकर अधिपति, 2013 ("अधिपति") को मार्च 108 और मार्च 110 और अन्य लागू अनुबंधों के अनुसार तथा ब्रोकर (अधिपति और प्रमाण) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 की तहत चले हुए। (किसी भी व्यक्ति को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (2) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (3) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (4) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (5) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (6) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (7) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (8) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (9) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (10) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (11) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (12) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (13) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (14) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (15) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (16) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (17) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (18) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 20 और 22, 2020, 17/2020 नियम 13 और 22, 2020, 20/2020 नियम 15 और 22, 2020, 33/2020 नियम 28 और 29, 2020, 33/2020 नियम 31 और 32, 2020, 10/2021 नियम 23 और 24, 2021, 10/2021 नियम 25 और 26, 2021, 10/2021 नियम 27 और 28, 2021, 11/2022 नियम 19 और 20, 2024 और 23/2025 नियम 22 नियम 2025 ("नियम") परीक्षा के लिए। (19) ब्रोकर अधिपति (अधिपति) को ब्रोकर अधिपति बनने के लिए उसके सामान्य परिचय पर 14/2020, नियम 2

Lemon Tree Hotels Limited

(CIN: L74899HR1992PLC140546)

Registered Office: Lemon Tree Corporate Park, Urban Complex, Ullahawas, Sector 60, Gurugram, Haryana-122011 | Tel: +91 124 714 2310**Corporate Office:** Asset No. 6, Aerocity Hospitality District, New Delhi-110037Email: sectdept@lemontreehotels.com | Website: www.lemontreehotels.com**STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025**

The unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 06, 2026.

The full format of the above Financial Results are available on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.lemontreehotels.com. The same can also be accessed by scanning the QR Code.



By order of the Board
for **Lemon Tree Hotels Limited**
Sd/-
Patanjali Govind Keswani
(Chairman & Executive Director)
DIN: 00002974

Place: New Delhi
Date : February 06, 2026

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

देहरादून आंचलिक कार्यालय,

1072, आशीवांद टॉवर, दूसरी मंजिल, बल्लूपुर रोड,

सुंदर विहार, चक्रवर्ता रोड, देहरादून-248001

प्रधान कार्यालय : 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

परिशिष्ट- IV (नियम-8 (1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटीआईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेस एण्ड इनफार्मसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटररेस्ट एक्ट 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 की उप धारा (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटररेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रसभूत आरितियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्य की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम	मांग नोटिस की तिथि
1.	शाखा : रूड़की ऋणी : 1. श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्री श्री राम वर्मा, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से दिवंगत, निवासी- गणपति धाम, चरण-3, ब्लॉक बी, ग्राम जमालपुर कलां, पगना ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249404। 2. श्रीमती अनुराधा वर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी- गणपति धाम, फेस-3, ब्लॉक बी, ग्राम जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249404।	बंधक आवासीय सम्पत्ति जिसका प्लॉट नं० 239 और 240, खसरा नं० 360, जो गणपति धाम, फेज-3, ब्लॉक बी, जो ग्राम जमालपुर कलां, पगना ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249404 में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 81.273 वर्ग मीटर है। सीमाएँ:- उत्तर- 22.0 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व- प्लॉट संख्या 240 का मांग, पश्चिम- प्लॉट संख्या 239 का मांग, दक्षिण- अन्य की संपत्ति।	₹0 28,69,888.00 + ब्याज (जैसा लागू हो), व्यय और अन्य शुल्क दिनांक 22.09.2025 तक	22.09.2025 04.02.2026 कब्जे का प्रकार सांकेतिक
2.	शाखा : हरिद्वार ऋणी : 1. श्री राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री काशी राम पता-1. मकान नंबर 55, दादू बाग आश्रम, कनखल, पगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249408, पता-2. मकान नंबर 222, रावली महदूद, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249402, गारंटर:- श्री बाल कृष्ण, पता- मकान नंबर 222, रावली महदूद, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249402।	बंधक आवासीय जिसका प्लॉट नं० 2, खसरा संख्या 107 जो ग्राम जमालपुर कलां, पगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार, में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 207.43 वर्ग मीटर है, जो श्री राकेश कुमार के नाम पर विक्रय विलेख के अनुसार है, जो बही संख्या 1, जिल्द 350, पृष्ठ 181 से 190, क्रमांक 12.914 पर दिनांक 12.09.2007 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हरिद्वार में पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्व- 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- 22 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- प्लॉट संख्या 3।	₹0 20,01,170.00 + दि० 11.11.2025 से खाता संख्या में सविदात्मक दर पर ब्याज, के साथ 2% की दर से दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क / खर्च	11.11.2025 04.02.2026 कब्जे का प्रकार सांकेतिक

दिनांक: **04.02.2026** स्थान—**देहरादून** प्राधिकृत अधिकारी, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

**Fusion Finance Limited**

(Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

CIN: L65100DL1994PLC061287

Registered address: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028**Corporate office:** Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana- 122001**Contact Person:** Vikrant Sadana, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: +91-124-6910500**E-mail:** companysecretary@fusionfin.com; **Website:** www.fusionfin.com**Extract of Financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025**

(₹ in crore unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	416.44	415.79	479.89	1,274.51	1,870.40	2,343.94
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14.05	(22.14)	(507.52)	(100.34)	(968.45)	(1,133.01)
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.05	(22.14)	(507.52)	(100.34)	(968.45)	(1,133.01)
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.05	(22.14)	(719.32)	(100.34)	(1,059.98)	(1,224.54)
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)]	13.49	(29.30)	(718.87)	(105.64)	(1,058.10)	(1,223.26)
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	161.36	131.18	100.65	161.36	100.65	100.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(204.15)	(221.94)	53.66	(204.15)	53.66	(109.47)
8	Securities Premium Account	2,374.11	2,008.98	1,652.15	2,374.11	1,652.15	1,652.15
9	Net worth	2,331.32	1,918.22	1,806.46	2,331.32	1,806.46	1,643.33
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	5,176.23	4,933.62	7,310.81	5,176.23	7,310.81	6,402.02
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	2.22	2.57	4.05	2.22	4.05	3.90
13	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised for quarter and nine-months ended)						
	1. Basic:	1.05	(1.69)	(65.44)	(7.73)	(96.44)	(111.41)
	2. Diluted:	1.05	(1.69)	(65.44)	(7.73)	(96.44)	(111.41)
14	Total debts to total assets	0.67	0.70	0.78	0.67	0.78	0.77
15	Net profit/(loss) margin (%)	3.31%	(5.12%)	(149.08%)	(7.70%)	(56.00%)	(51.69%)
16	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:

- The above results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on February 06, 2026 in accordance with requirement of the Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations, 2015"). The limited review of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, have been conducted by the Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 . The full format of the quarterly and nine month ended financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionfin.com).
- For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com, BSE Limited - www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website i.e. www.fusionfin.com.



For and on behalf of the Board of Directors of
Fusion Finance Limited
Sd/-
Sanjay Gargal
MD & CEO
DIN: 11046442

Place: Gurugram
Date : February 06, 2026

पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय ए.एफ.एस

अर्जनगढ़, नई दिल्ली-47

नीलामी सूचना – Auction Notice (for E-Waste Items)

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय ए.एफ.एस अर्जनगढ़, नई दिल्ली-47 के विभिन्न विभागों के पुराने सामान (जैसे Computer Department, Furniture Department, Other Fixed Asset, Audio Visual & Musical Instrument का सामान आदि) जहाँ जैसा है की स्थिति में उपलब्ध है को नीलाम किये जाने हेतु दिनांक 31.01.2026 को कुल 5 फर्नीचर पेस्टु दो फर्नीचर का सामान बोली होने के कारण उपरोक्त सामान की नीलामी दिनांक 31.01.2026 को नहीं हो पाई। अतः एक बार दुबारा इच्छुक फर्नीचर पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय ए.एफ.एस अर्जनगढ़, नई दिल्ली-47 में दिनांक 11.02.2026 को प्रातः 11.30 बजे विद्यालय के विभिन्न विभागों के पुराने सामान (जैसे Computer Department, Furniture Department, Other Fixed Asset, Audio Visual & Musical Instrument का सामान आदि) जहाँ जैसा है की स्थिति में उपलब्ध है को अवगत कराया जाता है कि दिनांक 09.02.2026 से 10.02.2026 तक को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच विद्यालय में आमंत्रित उपलब्ध सामानों का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के लिए 500/- रुपये की राशि एवं स्वयं हस्ताक्षरित E-waste के सुरक्षित निपटारे और पुरस्कारों में लाने का सक्कारी सहाय अधिकारी/संस्था द्वारा प्रदत्त मान्य प्रमाणपत्र तथा व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। (Note- दिनांक 31-01-2026 को जिन फर्नीचर में EMD जमा करायी है और दुबारा दिनांक 11.02.2026 को नीलामी में शामिल होना चाहते हैं, उन फर्नीचरों के दुबारा 500/- रुपये की EMD राशि नहीं ली जाएगी एवं प्राप्त EMD को विद्यालय खाते में ही वापस कर दिया जाएगा)

प्राचार्य

प्रलुप सं. आईएनसी-26
कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में।

केंद्रीय सरकार, पूर्वी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में और

सेवी रियल्टेक प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5एफ, गोकुल टावर, 25 गजेट प्लेस, सेक्टर 28, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008 के मामले में

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन प्रस्तुत का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए **25.09.2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संघर्ष में कंपनी के संगम शासन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेदनक विधानमंडल प्रत्यक्ष कर एम्प्लॉय-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में विधायक वचन कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 रात, पं. दीनदयाल अलोदीय भवन, द्वितीय तल सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजें।

5एफ, गोकुल टावर, 25 गजेट प्लेस, सेक्टर 28, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008

कृपा और उसकी ओर से
सेवी रियल्टेक प्राइवेट लिमिटेड
निर्वाहक निदेशक
दिनांक: 05.02.2026
स्थान: नई दिल्ली

ईमेल: 06522286

[[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में और

DYNAMIC KNITFABS PRIVATE LIMITED के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 1315-16, सर्वे नंबर 1529/11, द्वितीय तल, देवदाड़ा, नई सड़क, पटौनी चौक, गडच दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110006

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय की पुष्टि की मांग की जाती है। 19 जनवरी, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एग्रेसिवेशन के शासन में परिवर्तन, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "गुजरात राज्य" में बदल सके।

विशेष रूप से, कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित पते से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है:
पुराना पता: 1315-16, सर्वे नंबर 1529/11, द्वितीय तल, देवदाड़ा, नई सड़क, पटौनी चौक, गडच दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110006

नया पता: 330, ग्राम कुम्हारिया, रावली प्लेटिनम सरोती, चौराया की सुरत - 395010, गुजरात

कई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी की एक प्रति के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में नहीं उल्लिखित पते पर पहुंचा सकता है:

DYNAMIC KNITFABS PRIVATE LIMITED के लिए और उसकी ओर से
अंजु जैन निदेशक
डीआईएन: 08818358

फॉर्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्रीय सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में।

और

रेजिसेशन इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी) CIN: U74899DL1995PTC070623, जिसका पंजीकृत कार्यालय: एच नं.1, खसरा नं. 193/1, भूतल, मुख्य सड़क, गाँव-बुधपुर, लैंडमार्क-रामा स्वीट्स के सामने, दिल्ली-110036 में स्थित है, के मामले में

----- याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 रात, पं. दीनदयाल अलोदीय भवन (पूर्व में पर्यावरण भवन के रूप में ज्ञात), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजी. कार्या: एच नं.1, खसरा नं. 193/1, भूतल, मुख्य सड़क, गाँव-बुधपुर, लैंडमार्क-रामा स्वीट्स के सामने, दिल्ली-110036

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रेजिसेशन इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस (प्रा.) लि.
(परमदीप सिंह)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06.02.2026 निदेशक, DIN: 02056489

एचएफसीएल लिमिटेड
सीआईएन: L64200HP1987PLC007466
पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंदापाट रोडनगर - 173213 (हिमाचल प्रदेश)
वेबसाइट : www.hfcil.com ईमेल : secretarial@hfcil.com
दूरभाष : 91-1792-230644, फैक्स संख्या : 91-1792-231802

सदस्यों के लिए सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :
- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों, जिन्हें कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 (नियम) में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाए, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 08 अक्टूबर 2020, 17/2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 03/2022 दिनांक 05 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 सितंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 ("एमसीए परिचय") के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा आत्म-सहाय (परिवर्तन बनें) आयोजित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, और भागीदार प्रतिक्रिया और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं) और प्रकटीकरण अधिसूचना) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्य ध्यान दें कि एचएफसीएल लिमिटेड ("कंपनी") डाक माध्यम सूचना ("नोटिस") में निर्धारित कार्यों के संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") सुविधा के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसके उचित समय पर सदस्यों को भेज दिया जाएगा।
- (ख) सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केंवल ईमेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिजिटल रिजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक पंजीकृत हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hfcil.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिजिटल लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।
- (ग) अधिनियम की धारा 108, नियमों के नियम 20, सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएच-2") के अनुसार में, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है और इसके लिए एचएफसीएल की सेवाओं का उपयोग किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में प्रदान की जा रही है।
- (घ) वे शेयरधारकों के लिए पास मौखिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, वे कृपया कंपनी के सचिवीय विभाग को secretarial@hfcil.com पर ईमेल लिखकर इसे पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। सीटीएस/एनएसडीएल में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने संबंधित डिजिटल रिजिस्ट्रार पार्टिसिपेंट्स से संपर्क कर सकते हैं।

कृते एचएफसीएल लिमिटेड
हस्ता./—
(मनोज बैद)
अध्यक्ष
तथा कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 फरवरी, 2026

टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL2000PLC105817
पंजीकृत कार्यालय: डी-174, जीएफ, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली 110020
दूरभाष: 011-47351111, फैक्स: 011-26229671
वेबसाइट: www.tigerlogistics.in, ईमेल आईडी: csvishal@tigerlogistics.in
बोर्ड बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नी महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार के लिए होगी। एजेंडा के अनुसार बोर्ड अन्य मदों पर भी चर्चा/विचार कर सकता है / उन्हें पास कर सकता है।

इसके अलावा, दी गई जानकारी के अनुसार, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक) विनियम, 2015 में किए गए संशोधनों और कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को रोकते, मॉनिटर और रिपोर्ट करने के लिए, बीएसई परियंत्र नंबर LUST/COMP/01/2019-20 दिनांक 02.04.2019 के साथ पढ़ा जाए, तो कंपनी की सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ट्रेडिंग विंडो कंपनी के सभी 'डिजिटलनेटड व्यक्तियों' के लिए 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नी महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों